न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 14 / 2015

1. श्रीकिशन
2. बद्रीलाल

} पुत्रान बिरधीलाल जातियान मेहर निवासीगण भोज्याहेडी तह0 मांगरोल जिला बारां

--वादीगण

बनाम

1. ग्यारसी बाई बेवा किशना जाति माली निवासी भोज्याहेडी हाल निवासी सूण्डा जलवाडा तह0 किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

--प्रतिवादीगण

[redacted] दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री अमित कुमार गौड, श्री विकास पोरवाल

दायरा दिनांकः 23.03.2015

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोज्याहेडी की आराजी साबिक खसरा नं0 233 रकबा 13 बिस्वा तथा खसरा नं0 244 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 359 रकबा 0.09 है0 खसरा नं0 392 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 394 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 0.19 है0 खाता संख्या 20 में दर्ज है। जिसे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वर्णित आराजी को वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 से दिनांक 23.12.1991 को 2000 रू0 में खरीद किया था जिसका एक विक्रय इकरार पत्र 20 रू0 के स्टाम्प पर प्रतिवादी नं0 1 ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 23.12.1991 को निष्पादित करवाया था। वादीगण को उक्त वर्णित आराजी पर काश्त करते हुए 24 वर्ष हो गये है। अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है दिनांक 17.05.2018

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं हुई गयी बहस के आधार पर वादीगण क्रमशः श्रीकिशन व बद्रीलाल पुत्रान बिरधीलाल जातियान मेहर निवासीगण भोज्याहेडी तह0 मांगरोल द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी खसरा नं0 359 रकबा 0.09 है0 खसरा नं0 392 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 394 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 0.19 है0 पर कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी में ग्यारसी बाई बेवा किशना जाति माली निवासी भोज्याहेडी रेकार्डेड खातेदार है। वादीगण के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादीगण किसी भी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनते है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा--

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व

65 रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी

से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं एक खातेदार की विधिसंगत खातेदारी भूमि पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर जो वाद लाया है वह अविलम्ब राजहित एवं न्यायहित में खारिज योग्य है। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।